

अध्याय 4: संचयन तथा विदेशी योगदान

आईटीडी ने एओ को विनिर्दिष्ट पद्धतियों में किए गए निवेश के फार्म 10/विवरण प्रस्तुत किए बिना संचित किए गए अधिशेष हेतु ₹ 106.10 करोड़ के कर को शामिल करते हुए 120 न्यासों को धारा 11(2) के अन्तर्गत अनियमित छूट की अनुमति प्रदान की।

न्यासों की आय के संचयन की मॉनीटरिंग न होना

4.1 आईटीडी की लेखापरीक्षा नियमपुस्तक निर्धारित²¹ करती है कि न्यासों द्वारा आय के संचयन के उपयोग के संबंध में पृथक रजिस्टरों का अनुरक्षण किया जाना है। इसके अतिरिक्त, सीबीडीटी²² ने भी निर्धारित किया है कि आय के ऐसे संचयन के रिकॉर्ड रखने तथा ऐसी निधि के उपयोग की मॉनीटरिंग हेतु एओ द्वारा ऐसे रजिस्टर का अनुरक्षण किया जाना चाहिए।

4.2 हमने ₹ 106.10 करोड़ के प्रभावी कर वाले 120 मामलों पाये जहाँ न्यास फार्म 10 फाइल किए बिना अथवा देर से फाइल करके संचयित राशि हेतु धारा 11(2) के अन्तर्गत संवीक्षा मामलों में भी छूट प्राप्त कर रही थी। पिछले 11 वर्षों में निवेशों का विवरण तथा संचयित राशि रिटर्नों में उल्लंघित शेड्यूलों आई तथा के में नहीं थी। आईटीडी ने आय के संचयन, निर्दिष्ट पद्धति में निवेश के फार्मों तथा विनिर्दिष्ट अवधि के बाद संचयन के आवेदन की मॉनीटरिंग नहीं की क्योंकि रजिस्टरों का उचित रूप से अनुरक्षण तथा अद्यतन नहीं किया गया था (बॉक्स 4.1 देखें)।

बॉक्स 4.1: निर्दर्शी मामला

सीआईटी त्रिशूर, केरल में गुरुवयूर देवासम बोर्ड ने नि.व. 09 तथा नि.व. 10 के दौरान क्रमशः ₹ 24.64 करोड़ तथा ₹ 29.21 करोड़ की राशि के डिमांड ड्राफ्ट के रूप में हुन्डी संग्रहण तथा दान प्राप्त किए जिसको "न्यास के तहत रखी सम्पत्ति से आय" के समान समझने की बजाय पूँजीगत निधि में जमा कर दिया गया। जैसाकि धारा 11(2)(ए) के तहत फार्म संख्या 10 फाइल किया जाना अपेक्षित था जिसे आय के संचयन के लिए फाइल नहीं किया, तथापि इसे निर्धारित किया जाना चाहिए जिसमें ₹ 21.46 करोड़ कर शामिल था।

मंत्रालय ने कहा (मई 2013) कि मामला जाँच के अन्तर्गत है।

4.3 मंत्रालय ने कहा (मई 2013) कि लेखापरीक्षा ने एओज द्वारा कार्यान्वयन में खामियों को बताया है। इनकी जाँच की जाएगी। तथापि आईटीआर-7 की ई-फाइलिंग संचयन हेतु मॉनीटरिंग तंत्र को मजबूत बनाएगी। मंत्रालय ने यह भी कहा (मई 2013) कि कार्यालय नियमपुस्तक में पहले से विद्यमान पृष्ठ 61 के अनुसार संचयन की मॉनीटरिंग करने हेतु एओज द्वारा आईटीआर-7 में उपयुक्त कॉलम के फार्म में तंत्र तथा रजिस्टर के रखरखाव का निर्धारण है। संवीक्षा निर्धारण में, एओज इस पहलू की जाँच कर रहे हैं। तथापि, तंत्र आईटीआर-7 की ई-फीलिंग को आरंभ करने पर मजबूत हो सकता है जो रजिस्टर के ऑनलाइन रखरखाव में सक्षम होगा। आईटीडी सभी निर्धारितियों द्वारा रिटर्न की ई-फीलिंग को अनिवार्य करने की प्रक्रिया में लगा है।

²¹ नियमपुस्तक प्रक्रिया खंड -II के अध्याय - 5 का पैरा 8.3

²² दिनांक 03/06/1980 की परिपत्र संख्या 273

एक बार यह प्राप्त हो जाए तो ऐसे मामलों के निपटान हेतु प्रणाली में आवश्यक डाटा बेस बनाया जाएगा।

4.4 लेखापरीक्षा का मत है कि अधिनियम की योजना के अनुसार फॉर्म 10 निर्धारण के समापन से पहले फाइल किया जाए तथा इस स्वरूप में अनिवार्य हो इसलिए इसे संक्षिप्त तथा संवीक्षा निर्धारण में कुछ नहीं करना है। एओ को सभी फार्म 10 की संवीक्षा करनी चाहिए तथा फार्म 10 के बिना फाइल किए गए आईटीआर-7, अनिवार्य शेड्यूल "आई" तथा "के" के बिना अपूर्ण फॉर्म 10, अनिर्दिष्ट पद्धति में किए गए संचयन तथा निवेश के उद्देश्य आदि जैसी गलतियों को प्रथम दृष्टा पर ही असानी से पकड़ा जा सकता है। यह भी सुनिश्चित होगा कि केवल उसी निर्धारिती के दावे स्वीकृत होंगे (या तो संक्षिप्त या संवीक्षा निर्धारण) जिन्होंने फॉर्म 10 की सभी आवश्यकताओं को पूरा किया है। मंत्रालय इस संदर्भ में आवश्यक अनुदेश जारी कर सकता है।

आईटीडी ने ₹ 100.07 करोड़ कर को शामिल करते हुए विनिर्दिष्ट अवधि के पश्चात् 23 न्यासों का कर संचय नहीं किया।

विनिर्दिष्ट अवधि के पश्चात् आय/संचयन के कम उपयोग का गैर-कराधान

4.5 अधिनियम की धारा 11(1) तथा (2) में प्रावधान है कि यदि न्यास अपनी आय का कम से कम 85 प्रतिशत उपयोग करने में असमर्थ है अथवा आय के उस भाग के संचयन हेतु विकल्प नहीं देता है जिसे उपयोग नहीं किया जा सका तो वह कर के लिए प्रभार्य होगा। अधिनियम की धारा 11(3)(सी) में प्रावधान है कि यदि न्यास के विनिर्दिष्ट उद्देश्य (उद्देश्यों) हेतु संचित कोई आय उस उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं होती है जिसके लिए वह संचित की गई अथवा पांच साल की अवधि के दौरान पृथक रखी गयी है, तब वह पाँच साल की समाप्ति पर अगले वर्ष में कर के लिए प्रभार्य हो जाएगी।

4.6 हमने पाया कि ₹ 100.07 करोड़ कर प्रभाव निहित 23 मामलों में, एओज ने विनिर्दिष्ट अवधि के प्रश्चात् कर के लिए संचित आय की मॉनीटरिंग नहीं की (बॉक्स 4.2 देखें)।

बॉक्स 4.2: निर्दर्शी मामला

डीआईटी-ई, मुम्बई में, मुख्यमंत्री के राहत कोष ने धारा 10(23सी)(iv) के तहत अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत संचयन प्रक्रिया का अनुपालन किए बिना नि.व. 10 हेतु छूट के रूप में ₹ 21.90 करोड़ के अधिशेष की मंजूरी दी। निर्धारिती ने 31 मार्च 2009 तक ₹ 247.28 करोड़ का संचयन किया था जोकि उपयोग नहीं किया गया तथा जिस पर कर लगाया जाना था। तथापि, एओ ने संचयन की अवधि को मॉनीटर नहीं किया तथा पांच सालों के पश्चात् संचयन पर कर लगाया जाना था जिस पर कर नहीं लगाया गया। इसलिए ₹ 269.18 करोड़ के संचयन पर कर न लगाने के परिणामस्वरूप ₹ 91.49 करोड़ के कर का कम निर्धारण हुआ।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार की (मई 2013) तथा उपचारी कार्रवाई आरंभ की।

4.7 मंत्रालय ने कहा (मई 2013) कि लेखापरीक्षा ने एओज द्वारा कार्यान्वयन की कमियों को बताया है तथा मामलों की जाँच के लिए सहमति व्यक्त की।

4.8 लेखापरीक्षा का मत है कि मंत्रालय को पाँच सालों की निर्धारित समय-सीमा के पश्चात् अनुपयुक्त संचयन पर कर अपवंचन की जांच हेतु प्रभावी मॉनीटरिंग प्रणाली बनाने की आवश्यकता है।

आईटीडी ने गैर विनिर्दिष्ट पद्धतियों में निवेशित संचय हेतु ₹ 43.35 करोड़ के प्रभावी कर सहित 5 न्यासों को अनियमित छूट की मंजूरी दी।

विनिर्दिष्ट पद्धति में न किए गए निवेश हेतु अनियमित छूट

4.9 धारा 11 तथा 12 के तहत संचित निधि के लिए छूट की अनुमति नहीं है यदि निधि को अधिनियम की धारा 11(5) के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट पद्धति में निवेशित नहीं किया जाता है।

4.10 हमने पाया कि आईटीडी ने पांच मामलों में ₹ 43.35 करोड़ कर सहित छूट की मंजूरी दी जिनमें निवेश निर्दिष्ट पद्धति में नहीं किया गया (बॉक्स 4.3 देखें)।

बॉक्स 4.3: निवेशी मामला

डीआईटी-ई, चेन्नई, तमिलनाडु में, एओ ने नि.व. 08 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओसियन टेक्नोलॉजी को ₹ 247.95 करोड़ की छूट की मंजूरी दी। निर्धारिती ने बैंक में 186.85 करोड़ जमा किए तथा इसका प्राप्ति व भुगतान लेखा में व्यय के रूप में दावा किया। इसके अतिरिक्त, निर्धारिती ने फॉर्म 10 में नोटिस दाखिल नहीं किया। एओ को इसे निर्दिष्ट पद्धति में निवेश के रूप में स्वीकृति नहीं देनी चाहिए। इसके परिणाम स्वरूप ₹ 42.68 करोड़ के कर सहित अनियमित छूट दी गई।

4.11 मंत्रालय ने कहा (मई 2013) कि सभी छह मामलों को तथ्यों की उपयोग्यता हेतु संवीक्षित किया जाएगा।

4.12 लेखापरीक्षा का मत है कि मंत्रालय को मामलों की जांच के अलावा अवनिर्दिष्ट पद्धति में निवेश पर कर अपवंचन की जांच हेतु प्रभावशाली मॉनीटरिंग तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है।

एमएचए वेब साइट के अनुसार, एनजीओज/न्यासों ने नि.व. 10 के दौरान ₹ 10,338 करोड़ का विदेशी अंशदान (एफसीज) प्राप्त किया तथा एमएचए इसे एफसीआरए 1976 के तहत मॉनीटर करती है। सीबीडीटी ने निर्दिष्ट निर्देशों के साथ प्राप्त एफसीज की मानीटरिंग और जिस उद्देश्य के लिए प्राप्त हुआ था उपयोग करने हेतु कोई दिशा-निर्देश/परिपत्र जारी नहीं किए।

न्यासों तथा एनजीओज द्वारा प्राप्त की गई एफसीज की मॉनीटरिंग न होना

4.13 गैर सरकारी संस्थान (एनजीओज)/न्यास, एफसीआरए 2010 द्वारा संशोधित विदेशी योगदान विनियम अधिनियम (एफसीआरए) 1976 के अन्तर्गत समय-समय पर एफसीज प्राप्त करते हैं। गृह मंत्रालय (एमएचए) एफसी की प्राप्ति को मॉनीटर करता है तथा ₹ 1 करोड़ से अधिक एफसी प्राप्त करने वाली संस्थाओं/न्यासों के वर्षवार/राज्यवार विवरण को दर्शाते हुए

इसकी कार्यालयी वेबसाईट²³ पर इसे प्रकाशित करता है। एफसीआरए, एमएचए के साथ एफसीज प्राप्तकर्ता के पंजीकरण पर विचार करता है। एफसीआरए, प्राप्त एफसीज अकाउंट में इसकी प्राप्ति के उद्देश्य हेतु नामित बैंक में पृथक आकउंट के रख-रखाव का भी अनुबंध करता है। रिटर्नों को वार्षिक रूप से एमएचए को जमा करना आवश्यक है।

4.14 एमएचए वेबसाईट के अनुसार, 21,508 संघों ने नि.व. 10 के दौरान ₹ 10,338 करोड़ की राशि के एफसीज की प्राप्ति सूचित की जिसके लिए सीबीडीटी ने कोई परिपत्र/दिशानिर्देश जारी नहीं किया। आईटीडी ने विस्तृत विवरणों को सुनिश्चित नहीं किया जैसे चाहे स्वैच्छिक अनुदान/सहयोग किसी निर्दिष्ट निर्देश के साथ प्राप्त किया हो अथवा चाहे वह संग्रहित निधि के भाग से बने तथा इसी को उसी उद्देश्य हेतु उपयोग किया गया है जिसके लिए इसे प्राप्त किया गया तथा ऐसी किसी गतिविधि के लिए तो उपयोग नहीं किया गया है जोकि राष्ट्रीय हित के लिए हानिकारक है।

आईटीडी ने उचित मूल्यांकन में एओज को सक्षम बनाने हेतु एफसीज के लिए आईटीआर फार्म (आईटीआर-7) में कोई कॉलम निर्धारण नहीं किया है।

रिटर्न के फॉर्म में असंगति

4.15 हमने पाया कि न्यासों द्वारा प्राप्त की गई एफसीज/दानों से संबंधित ऑकड़ों को दर्शाने के लिए आईटी रिटर्न फार्म (आईटीआर-7) में कोई कॉलम नहीं है। यह एओज को उचित मूल्यांकन में सक्षम बनाएगा। (देखें बॉक्स 4.4)।

बॉक्स 4.4: निर्धारित मामला

डीआईटी-ई, अहमदाबाद, गुजरात में, आईटीडी ने 73 निर्धारित न्यासों को संवीक्षा हेतु चयन नहीं किया जिसमें नि.व. 08 से नि.व. 10 के दौरान ₹ 272.35 करोड़ की राशि के एफसीज प्राप्त किए गये थे।

4.16 मंत्रालय ने कहा (मई 2013) कि नि.व. 13 के लिए निर्धारित आईटीआर-7 में एफसीआरए पंजीकरण विवरण के वर्णन तथा प्राप्त एफसी की राशि हेतु एक पृथक कॉलम का प्रारंभ किया है। न्यास जिन्होंने नि.व. 08 से नि.व. 10 के दौरान एफसीज प्राप्त किया था, को संवीक्षा हेतु चयनित नहीं किया गया चूंकि उन संबंधित वर्षों में इसी प्रकार के चयन हेतु कोई सीबीडीटी ने दिशा-निर्देश नहीं दिए थे। तथापि, नि.व. 12 हेतु ऐसे मामलों जिन्होंने ₹ 1 करोड़ से अधिक एफसीज प्राप्त की है, को संवीक्षा हेतु चयनित किया गया है।

²³ <http://mha.nic.in/fcra.htm>

प्रयोजन हेतु एफसीज का उपयोग न होना

4.17 डीआईटी-ई, मुम्बई में, हमने दो न्यासों²⁴ तथा संस्थानों जिन्होंने नि.व. 09 व नि.व. 10 के दौरान ₹ 97.14 करोड़ की सीमा तक एफसीज प्राप्त किए, उनके द्वारा निधि का रूपान्तरण पाया जिसमें अनुदान तथा उसके उपयोग का प्रयोजन भिन्न पाया गया। डीआईटी-ई, चेन्नई में 4 मामलों में, एफसीज को ₹ 6.18 करोड़ कर के परिणामस्वरूप अन्य उद्देश्यों हेतु उपयोग किया गया। सीआईटी, त्रिची में एक मामले में तथा सीआईटी मदुरै में एक मामले में एफसी के रूप में प्राप्त राशि का प्रयोजन हेतु उपयोग नहीं किया।

4.18 मंत्रालय ने कहा (मई 2013) कि इस पैरे में वर्णित आठ मामलों की जांच की जा रही है।

4.19 लेखापरीक्षा का मत है कि मामलों की जांच के अलावा मंत्रालय यह सुनिश्चित करे कि एफसी को उसी उद्देश्य हेतु व्यय किया गया है जिसके लिए यह प्राप्त की गई थी तथा व्यय न की गई राशि पर कानून के अनुसार कर लगाया गया है।

4.20 मंत्रालय ने आगे कहा (जुलाई 2013) कि आईटीडी केवल यह प्रमाणित कर सकता है कि प्राप्त निधि को न्यास के उद्देश्य हेतु उपयोग किया गया है तथा वह भी केवल उन्हीं मामलों में, जिन्हें संवीक्षा हेतु चयनित किया गया है।

4.21 लेखापरीक्षा का मत है कि मार्च 2012 में, सीबीडीटी ने वित्त मंत्रालय को काले धन के मामलों पर स्वयं सिफारिश की थी कि इसमें एफसीआरए अधिनियम तथा डीजीआईटी (छूट) तथा विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वय के तहत वास्तविक समय के आंकड़ों का सहभाजन होना चाहिए। जैसाकि न्यासों की अधिकांश रिटर्न्स केवल समरी में ही संसंधित की जाती हैं आईटीडी को समरी मामलों को भी शामिल करते हुए प्रभावशाली मॉनीटरिंग की सुविधा हेतु एक तंत्र बनाना चाहिए।

स्थानीय निधि के साथ एफसीज का मिलाना

4.22 एफसीआरए के प्रावधानों के अनुसार, विदेशी दाताओं से प्राप्त राशि को नामित बैंक अकाउंट में पृथक रखना चाहिए तथा स्थानीय निधि में नहीं मिलाना चाहिए। तथापि, निम्नलिखित दो मामलों में चेन्नई में प्राप्त एफसीज हेतु कोई पृथक अकाउंट नहीं बनाया गया।

क) छूट सर्कल II, चेन्नई में, चेनगलपूत एजुकेशनल सोसाइटी के डिओसीज के पास एफवाई 06 के अन्त तक ₹ 59.03 लाख का इतिशेष था जिसे ₹ 34.09 करोड़ के स्थानीय सहयोग के साथ संलग्न 8% प्रतिभूति में जमा किया गया।

²⁴ प्रथम - मुम्बई एजुकेशन प्रस्ताव (नि.व. 10) तथा वर्ल्ड रेनुअल स्प्रिट्यूल ट्रस्ट (नि.व. 09 व नि.व. 10)

ख) छूट सर्कल IV, चेन्नई में, एड-एट-एक्शन धारा 12 एए के तहत मंजूरी प्राप्त एक एनजीओ की रसीद में ए.वाई. 08 तथा ए.वाई. 09 हेतु एफसी के रूप में ₹ 15.28 करोड़ तथा ₹ 11.71 करोड़ थे। स्थानीय अनुदान के रूप में ₹ 76.19 लाख तथा ₹ 1.81 करोड़ भी निर्धारिती की पावती में थे। निर्धारिती ने अधिनियम में अनुबंध के रूप में अकाउंट की पृथक पुस्तकें नहीं बनाई।

4.23 मंत्रालय ने कहा (मई 2013) कि जहां तक कि अधिनियम का संबंध है यह असंगत है कि एफसीज तथा स्थानीय निधि को निर्धारिती द्वारा उसी बैंक अकाउंट में मिला दिया जाता है। महत्वपूर्ण मामला केवल यह है कि प्राप्त निधि, संग्रह के लिए है अथवा अन्य प्रकार के लिए है अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निधि प्रयुक्त की गई है अथवा संग्रहीत की गई है। एफसीआरए के प्रावधानों के उल्लंघन जहां निर्धारिती को वार्षिक रिटर्न भरना आवश्यक है, की एमएचए द्वारा जाँच की जाएगी।

4.24 मंत्रालय का तर्क स्वीकार्य नहीं है। एफसीआरए का यह प्रावधान अधिनियम का उल्लंघन नहीं करता है। एफसीआरए अधिनियम (2010) की धारा 17(1) के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति जिसको एक प्रमाण-पत्र दिया गया है अथवा धारा 12 के तहत पूर्व अनुमति दी गई है, को बैंक की एक ऐसी शाखा के माध्यम से केवल एकल अकाउंट में एफसी प्राप्त करना चाहिए क्योंकि वह प्रमाण-पत्र की अनुमति हेतु अपने आवेदन में वर्णित कर सकता है। इसके अलावा, इसका दूसरा उपबन्ध कहता है कि एफसी के अलावा किसी अन्य निधि को ऐसे अकाउंट में दाखिल तथा जमा नहीं करना चाहिए। उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि एफसीज प्राप्त करने वाला एक निर्धारिती, एफसीज हेतु पृथक अकाउंट बनाने के लिए बाध्य है तथा इसे स्थानीय प्राप्त निधि में नहीं मिला सकता। इसके अतिरिक्त, पृथक अकाउंट के अभाव में नहीं मंत्रालय यह सुनिश्चित करने में सक्षम नहीं होगा कि एफसीज (संग्रहित निधि) को उस उद्देश्य हेतु उपयोग किया गया जिसके लिए उसे प्राप्त किया गया था।

4.25 मंत्रालय ने कहा (जुलाई 2013) कि अधिनियम के अन्तर्गत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि न्यास को जिसमें एफसीज को स्थानीय निधि के साथ मिला दिया है, छूट से वंचित किया जाय। एफसीआरए के प्रावधानों के उल्लंघन पर एफसीआरए के अन्तर्गत जुर्माना लगाया जा सकता है परन्तु मौजूदा प्रावधानों के अनुसार अधिनियम के तहत नहीं।

4.26 लेखापरीक्षा का मत है कि मंत्रालय अधिनियम में उचित संशोधन करे अथवा एफसीज तथा स्थानीय निधियों की उचित मॉनीटरिंग हेतु एफसीआरए अधिनियम में उपलब्ध के रूप में एफसीज तथा स्थानीय निधियों हेतु पृथक अकाउंट बनाने के संदर्भ में दिशा-निर्देश जारी कर सकता है।

सिफारिशें

4.27 हम सिफारिश करते हैं कि

- क.** आईटीडी को न्यासों द्वारा आय के संचयन को मॉनीटर करना चाहिए जिसको निर्दिष्ट पद्धति, निर्दिष्ट समय तथा निर्दिष्ट उद्देश्यों हेतु उपयोग किया जाता है। निर्धारित रजिस्टर बनाए जाने चाहिए तथा संचयन पर निगरानी हेतु सख्ती से अपडेटिट किए जाने चाहिए तथा उस डाटाबेस को भी कम्प्यूटरीकृत किया जाना चाहिए तथा निर्धारण को अंतिम रूप देते समय एओज को उपलब्ध कराने चाहिए।

मंत्रालय ने कहा (मई 2013 तथा जुलाई 2013) कि आईटीआर-7 की ई-फीलिंग के प्रारंभ की प्रक्रिया जो चल रही है, उसमें एओज द्वारा रजिस्टर के रख-रखाव को ऑनलाइन बनाने में सक्षम होगा। मंत्रालय ने यह भी कहा कि आईटीआर-7 में फॉर्म के उपयुक्त कॉलम तथा कार्यालय नियमावली के पृष्ठ 61 के अनुसार संचयन की मॉनीटरिंग हेतु एओज द्वारा रजिस्टर के रख-रखाव हेतु विवरण पहले से ही मौजूद है। निर्धारण संवीक्षा में, एओज इस संदर्भ की जाँच कर रहे हैं।

लेखापरीक्षा का मत है कि अधिनियम की योजना के अनुसार, फार्म 10 निर्धारण के समाप्त से पहले दाखिल करना होता है तथा यह अनिवार्य भी है। अतः इसका संक्षिप्त अथवा संवीक्षा निर्धारण से कुछ लेना देना नहीं है। एओज को सभी फॉर्म 10 की संवीक्षा करनी चाहिए।

- ख.** आईटीडी सुनिश्चित करे कि सभी निर्धारित शर्तें निर्धारिती द्वारा रिटर्न भरने से पहले दाखिल किए जाने वाले फॉर्म 10 के आधार पर धारा 11(2) के अन्तर्गत छूट दी जाए।

मंत्रालय ने कहा (मई 2013) कि एओज इस तथ्य की जाँच संवीक्षा के दौरान करते हैं। मंत्रालय ने आगे कहा (जुलाई 2013) कि फार्म 10 को मामले की संवीक्षा के समय प्रकट किया जाता है। चाहे एओज जाँच करें अथवा नहीं परन्तु अनुबंधित शर्तों को संवीक्षा प्रक्रिया के दौरान धारा 11(2) के अन्तर्गत छूट देते समय जाँच किया जाता है।

लेखापरीक्षा का मत है कि मंत्रालय को न्यास के सभी मामले चाहे संवीक्षा अथवा सारांश के अन्तर्गत हो, के संदर्भ में फार्म 10 की ई-फाईलिंग तथा ऑटो प्रोसेसिंग की शुरुआत करनी चाहिए। इससे न्यासों द्वारा किए गए संचयन चाहे सारांश अथवा संवीक्षा के अन्तर्गत कवर हो, की उचित मॉनीटरिंग सुनिश्चित होगी।

ग. आईटीडी सुनिश्चित करे कि एफसी के मामलों का सीबीडीटी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार संवीक्षा हेतु चयन किया गया है।

मंत्रालय दिशा-निर्देशों के अनुसार एफसी मामलों के संवीक्षा चयन हेतु सहमत हुआ (मई 2013)। मंत्रालय ने आगे कहा (जुलाई 2013) कि पिछले वर्ष के लिए संवीक्षा हेतु अनिवार्य चयन के लिए दिशा-निर्देश दिया गया था कि ₹ 1 करोड़ से अधिक विदेशी मुद्रा में दान प्राप्त करने वाले संगठनों की प्राप्तियों की संवीक्षा की जाएगी। ऐसे तय पैरामीटरों की वर्तमान वर्ष हेतु संवीक्षा दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप देते समय इस वर्ष भी जाँच की जा सकती है।